इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई 2011—आषाढ़ 29, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2011

क्र. 16801-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, 64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई, 2011 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०११

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, खण्ड (दो) में, शब्द "द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट" के स्थान पर, शब्द "द्वितीय अनुसूची के भाग एक में विनिर्दिष्ट" स्थापित किए जाएं.

द्वितीय अनुसूची का स्थापन. ३. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"द्वितीय अनुसूची

भाग एक

[धारा २ (दो) तथा ४ (सत्रह) (एक) देखिए]

अनुक्रमांक (१)	विश्वविद्यालय का नाम (२)	मुख्यालय (३)	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र) (४)
१.	विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर एवं देवास.
२.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, कटनी, नरसिंहपुर एवं छिंदवाड़ा.
३.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर, झाबुआ, धार, खरगौन (पश्चिमी निमाड़), खण्डवा (पूर्वी निमाड़), अलीराजपुर, बुरहानपुर एवं बड़वानी.
४.	जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, दतिया, श्योपुर एवं अशोकनगर.
५.	अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा	रीवा	रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, डिण्डोरी, अनूपपुर, उमरिया एवं सिंगरौली.
६.	बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, राजगढ़, हरदा एवं बैतूल.

भाग दो

[धारा ४ (सत्रह) (दो) देखिए]

अनुक्रमांक (१)	विश्वविद्यालय का नाम (२)	मुख्यालय (३)	क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र) (४)
१.	महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर.	छतरपुर	छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, पन्ना एवं दमोह.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, छिन्दवाड़ा तथा दमोह जिलों पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) की धारा २ (दो) के अधीन स्थापित किया गया था. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (२००९ का २५) के अधिनियमित हो जाने पर डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में संपरिवर्तित हो गया है. राज्य सरकार ने अब ''महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय'' के नाम से छतरपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का विनिश्चय किया है जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, पन्ना तथा दमोह जिलों में राज्य सरकार के स्वामित्व और उसके द्वारा नियंत्रित महाविद्यालयों पर होगी. अतएव, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २२ सन् १९७३) की धारा २ तथा द्वितीय अनुसूची में समुचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १७ जुलाई, २०११.

लक्ष्मीकांत शर्मा
भारसाधक सदस्य.

''संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित''.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०११ द्वारा महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर की स्थापना में विद्यमान उपबंधों की अपेक्षा हेतु पदों के सृजन एवं अधोसंरचना पर रुपये ५ करोड़ का आवर्ती एवं रुपये ८० करोड़ का अनावर्ती व्यय, राज्य की संचित निधि पर आना संभावित है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 357] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2011—आषाढ़ 31, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2011

क्र. 3231-248-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 26, सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 26 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2011.

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act,), in clause (ii), for the words "specified in the Seconde Schedule", the words "specified in Part 1 of the Second Schedule" shall be substituted.

Substitution of Second Schedule. 3. for the Second Schedule to the Principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"THE SECOND SCHEDULE
PART-I
[See section 2 (ii) and 4 (xvii) (i)]

S.No. (1)	Name of the University (2)	Headquarters (3)	Territorial Jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district) (4)
1.	Vikram Vishwavidyalaya, Ujjain	Ujjain	Ujjain, Ratlam, Mandsaur, Shajapur and Dewas.
2.	Rani Durgawati Vishwavidyalaya, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur, Mandla, Seoni, Balaghat, Katni, Narsinghpur and Chhindwara.
3.	Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore.	Indore	Indore, Jhabua, Dhar, Khargone (West Nimar), Khandwa (East Nimar), Alirajpur, Burhanpur and Badwani.
4.	Jiwaji Vishwavidyalaya, Gwalior.	Gwalior	Gwalior, Bhind, Morena, Shivpuri, Guna, Datia, Sheopur and Ashoknagar.
5.	Awadesh Pratap Singh Vishwavidyalaya, Rewa	Rewa	Rewa, Satna, Sidhi, Shahdol, Dindori, Anuppur, Umaria and Singroli.
6.	Barkatullah Vishwavidyalaya, Bhopal.	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Vidisha, Hoshangabad, Rajgarh, Harda and Betul."

PART-II
[See section 4(xvii) (ii)]

S.No. (1)	Name of the University (2)	Headquarters (3)	Territorial Jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district) (4)
1.	Maharaja Chhatrasal Bundelkhand Vishwavidyalaya, Chhatarpur.	Chhatarpur	Chhatarpur, Sagar, Tikamgarh, Panna and Damoh.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Dr. Hari Singh Gour Vishwavidyalaya, Sagar, having its territorial jurisdiction in the districts of Sagar, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Chhindwara and Damoh, was deemed to be established under section 2(ii) of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973, (No. 22 of 1973), On the enactment of the Central Universities Act, 2009 (No. 25 of 2009), Dr. Hari Singh Gour Vishwavidyalaya has been converted into a Central University. The State Government has now decided to establish an University at Chhatarpur by the name of "Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University" which shall have the territorial jurisdiction over the Colleges owned and controlled by the State Government in the district of Chhatarpur, Sagar, Tikamgarh, Panna and Damoh. Therefore, suitable amendments are proposed in Section 2 and Second Schedule of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).

2. Hence this Bill.

BHOPAL :
DATED the 17th July, 2011.

LAXMIKANT SHARMA
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.